

कार्यालय --- निदेशक --- सैकण्डरी शिक्षा --- हरियाणा
चण्डीगढ़

आदेश क्रमांक 23/ 10 2009-वि01 (1) दिनांक चण्डीगढ़ 8-2-2009

अरावली-पब्लिक स्कूल मुसापुर, पारोजपुर झिंखा (गुडगांव)

को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली से अैदिव्य स्तर की सम्बद्धता लेने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त पर जारी किया जाता है कि विद्यालय समय-समय पर जारी की जाने वाली इस विभाग की हिदायतों का पालन करता रहेगा तथा हरियाणा विद्यालय शिक्षा एक्ट 1995 के जो नियम बनेंगे वह विद्यालय को मान्य होंगे ।

विभागीय हिदायतों की पालना न करने पर यह अनापत्ति प्रमाण पत्र वापिस लिया जा सकता है ।


सुरीना राजन
निदेशक सैकण्डरी शिक्षा
हरियाणा चण्डीगढ़

पृष्ठांकन क्रमांक सम

दिनांक चण्डीगढ़ 13-2-2009

इसकी यह प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला शिक्षा अधिकारी गुडगांव को उनके पत्र क्रमांक 3/2001/1429-30 दिनांक 24-12-2001 के सन्दर्भ में ।
2. प्राचार्य / मुख्याध्यापक अरावली पब्लिक स्कूल मुसापुर, पारोजपुर झिंखा (गुडगांव)
3. सचिव केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा केन्द्र कम्यूनिटी सैन्टर प्रीत बिहार, नई दिल्ली- 110002.


अधीक्षक विद्यालय-
कृते निदेशक सैकण्डरी शिक्षा
हरियाणा चण्डीगढ़.